हिन्दुस्तान से बाहर जाते हैं। हम लोगों से साउथ-ईस्ट एशियन देशों के कई प्रतिनिधियों ने बार-बार कहा कि क्या हिन्दुस्तान आगे आएगा, क्या हिन्दुस्तान अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा करने के लिए साउथ-ईस्ट एशियन जोन की लीडरशिप करेगा? यह सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो अमेरिका के साथ परमाणु अप्रसार संधि की है, उसके माध्यम से क्या हम इसे सुनिश्चित कर पाएंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से अमेरिका इजराइल का मिडल ईस्ट एशिया में इस्तेमाल कर रहा है, शायद दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा दिन आ गया है कि आपको भी अमेरिका के पालतू एजेंट की तरह काम करना पड़े। यह हमारी बहुत गंभीर शंका है, इसका जवाब आपको देना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि विषय काफी गम्भीर है इसलिए थोड़ा समय और लेना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है। आज हम देखें कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था की गति दहाई में पहुंच रही है। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने इस बारे में कुछ अच्छे निर्णय लिये हैं, लेकिन हमने अखबारों में यह भी पढ़ा कि यह विकास एकांगी है। प्राइमरी सैक्टर और सेकंडरी सैक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही है, केवल सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। अमेरिका हमारे इस सर्विस सैक्टर का ही लाभ उठाना चाहता है और आपके बाजार में घुसना चाहता है। वाल मार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हिन्दुस्तान में आना चाहती है। अभी हमें पता चला है कि उसने भारती के साथ करार किया है ताकि वह हिन्दुस्तान के बाजार में प्रवेश करेगी। इस मामले में अमेरिका के लोग आउटसोर्सिंग नहीं करते हैं। फूड, कपड़ा, इलैक्ट्रानिक आदि मामलों में वह ब्राजील, अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका, वैनेजुएला आदि देशों से आउटसोर्सिंग करता है। क्या अमेरिका इस मामले में भी हमारी मदद करेगा? क्या इस संधि से हम एक ऐसा माहौल बना पाएंगे जिससे हमारे एक-एक गांव में खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां खुलें? जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उनकी आउटसोर्सिंग हिन्दुस्तान के गांवों से हो, और एक-एक गांव की टर्नओवर दो या तीन करोड़ रुपये को क्रॉस करे। क्या टैक्नीकल इनपुट के लेवल पर, फिलॉसफी के लेवल पर और केपिटल के लेवल पर अमेरिका हमारी मदद करेगा, आज हिन्दुस्तान की जनता आपसे यह जानना चाहती है?

इस संधि के मामले में आपको कुछ और चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी। परमाणु मदद तो एक खुलासा है, यह तो एक शुरुआत हुई है। जैसा हमने पढ़ा कि ऊर्जा की जरूरतों के लिए हमें अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी पड़ी। सच्चाई तो यह है कि जो समझौता यहां हुआ था, उसका जो प्रस्ताव हमने यहां रखा था और जो चीज हमारे दिमाग में थी, अमेरिका की सीनेट में उसमें बहुत गम्भीर चेंजेज हुए हैं। यह तो शुरुआत है। हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान का इलैक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया उपभोक्ता बाजार के दबाव में है। मुझे यकीन है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रानिक मीडिया जनता को सच्चाई का आईना नहीं दिखा रहे हैं। वे केवल कन्ज्यूमर मार्केट के दबाव में है। जिस तरह से बाजार चाहता है, उसी तरीके से लोग एक्सपोज किये जाते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं। मुझे शक है कि प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हिन्दुस्तान के इंटरनेट को इतना बढ़ाने का काम कर रहा है कि हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तान की सच्चाई नहीं दिखेगी, अमेरिका की सच्चाई दिखेगी।

आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने पूछा कि उनका आखिरी सपना क्या है। वे कहते हैं कि यहां से पढ़-लिखकर अमरिका चले जाएं, वहीं शेष जिंदगी बिताएं और यहां नहीं आएं। ठीक है, उनकी मर्जी है कि वे कहां रहें। लेकिन जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उससे हमें क्या मिलने वाला है, हमें यह देखना चाहिए। जैसा अभी रूप चंद पाल साहब बता रहे थे कि यह रैसिप्रोसिटी है कहां, यह तो वन वे ट्रैफिक है। एक इलाके का जबर्दस्त आदमी कुछ कह रहा है और हम दबाव में उसे मान रहे हैं। यह एक कठोर सच्चाई है, इसे हमें मानना पड़ेगा।

हमारी विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति थी और उस नीति पर चलकर, हिंद महासागर के मुहाने पर भारत एक ताकत के रूप में सामने आ रहा है और आज हर भारतवासी को इस बात का फख्र होना चाहिए।

हमारे पूर्व-वक्ता बता रहे थे कि भारत के पास बहुत सारे ऊर्जा के आल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं। हाइडल-पावर हमारे पास हैं, समुद्र से, हवाओं से बिजली पैदा हो सकती है। इस प्रकार हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं। इसलिए एक बार पुनः इस बात पर विचार कीजिएगा कि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का और कौन सा रास्ता है जिससे हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा हो। महामहिम राष्टपति जी कहते रहे हैं कि सन् 2020 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और ऐसा वह किसी की बैसाखी लेकर नहीं बनेगा, अपने पैरों पर खड़े होकर बनेगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अतिमहत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर हो रही चर्चा में हस्तक्षेप करने

[डा. मनमोहन सिंह]

का यह अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। यह चर्चा हमारी लोकतांत्रिक परम्परा और सिद्धांतों की द्योतक है। माननीय विपक्ष के नेता ने ऐसा भयावह चित्रण करने का प्रयास किया है जिसका इस मामले के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रक्रिया में, उन्होंने इस आशा में यूपीए गठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश की है कि वे इस सरकार को गिराने में सफल हो जाएंगे। मैं श्री आडवाणी जी को यह यकीन दिलाता हूं कि उन्हें इसके लिए काफी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। इसके लिए उन्हें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुमति लेनी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कई मूल बातें हैं। पहली बात यह है कि हम अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ यह असैनिक परमाणु सहयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम असैनिक परमाणु सहयोग के बारे में है। हमने अपने सामरिक कार्यक्रम की विषयवस्तु और व्यापकता के बारे में अमेरिका अथवा किसी अन्य से कभी भी चर्चा नहीं की है और मैंने पहले भी सभा को आश्वस्त किया था और पुन: यह आश्वासन देता हूं कि हमारे सामरिक कार्यक्रम अपने निर्णयों के अनुरूप होंगे और यह किसी भी अन्य देश की अन्तरराष्ट्रीय आधार पर की गयी संवीक्षा के अध्यधीन नहीं होंगे। मैंने इस असैनिक परमाणु सहयोग के कार्यक्रम पर आगे बढ़ने से पहले भी सभा को यह आश्वासन दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग को अपने अनुसंधान और विकास, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के विकास तथा उनके द्वारा यूरेनियम से प्लूटोनियम तथा प्लूटोनियम से थोरियम हेतु थ्री साइकिल कार्यक्रम को जारी रखने में कोई नुकसान हो। मैं सभा को पुन: विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने उस वचन पर कायम हूं।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर यह हो-हल्ला क्यों? निश्चित तौर पर यह सच है कि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित इस अधिनियम की कई मुख्य बातें हमारे पक्ष में हैं। अमेरिकी सरकार का भारत को छूट देने हेतु अमेरिकी कांग्रेस से कहना इस बात का द्योतक है कि विश्व समुदाय भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करता है।

एक्ट की कुछ बातों का हम स्वागत करते हैं और कुछ बातें चिंता उत्पन्न करते हैं। अमरीकी प्रशासन ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे 18 जुलाई के वक्तव्य एवं 2 मार्च के सेपरेशन प्लान में उल्लिखित अपनी प्रतिबद्धताओं का पूर्णत: अनुपालन कर सकेंगे परन्तु ये बातें साकार होंगी या नहीं यह 123 द्विपक्षीय सहयोग समझौते की विषय-वस्तु पर प्रधानत: निर्भर करेगा जिसे हमें संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ समझौता करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब समय आएगा आप उस समझौते की विषय-वस्तु से हमें परख सकते हैं। परन्तु अभी फैसला देना जल्दीबाजी होगी कि विपक्ष के नेता ने ऐसा करने की मांग की है।

हमारी प्रमुख चिंता लगभग 35 वर्षों से नाभिकीय सामग्रियों, नाभिकीय उपकरण एवं नाभिकीय प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को हटाना है। हमारे नाभिकीय वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है परन्तु यह भी सच है कि डा. भाभा द्वारा परिकल्पित नाभिकीय कार्यक्रम का उद्देश्य प्रचुर मात्रा में विद्युत का उत्पादन करना था। यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। मैं परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य था और यह सत्तर का दशक था जब हमने 10,000 मेगावाट क्षमता का उद्देश्य निर्धारित किया था। अभी हम वर्ष 2006 में हैं और 2007 में प्रवेश करने वाले हैं। हमारी कुल क्षमता मात्र लगभग 3600 मेगावाट है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नाभिकीय ऊर्जा मोर्चे पर हमारी सभी परेशानियों का रामबाण है बल्कि राष्ट्रीय मामलों में सरकारी हस्तक्षेप का उद्देश्य व्यापक विकास विकल्प होना चाहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि नाभिकीय प्रौद्योगिकी और उपकरणो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपकी पहुंच है तो इससे हमारी ऊर्जा संबंधी आपूर्ति के संबंध में हमारे विकास विकल्प व्यापक होंगे। यही वह प्राथमिक उद्देश्य है जिसे हम चाहते हैं और यही वह प्राथमिक उद्देश्य है जिसके आधार पर हमारी विवेचना की जानी चाहिए। साथ ही, यदि इस प्रक्रिया में हम राष्ट्रीय हितों से समझौता करते हैं और यदि इस प्रक्रिया में हम किसी विदेशी नीति की प्रतिबद्धताओं को मान लेते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुसरण अथवा हमारी राष्ट्रीय विदेशी नीति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है तो सभा उचित कदम उठा सकती है और मैं सभा में अपील करने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें भारत की विदेश नीति वाशिंगटन अथवा किसी अन्य स्थान पर बनाई जाए।

अतएव, मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसे संवेदनशील मामलों से निपटने में सामंजस्य का अहसास होना चाहिए जिसका न केवल हमारे देश के विकास के भविष्य पर बल्कि विश्व की बड़ी ताकतों के साथ भविष्य में हमारे संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

तीन दिन पहले मैं जापान में था और जापान की सरकार, जापान के उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में भारत की विकास संभावनाओं

के बारे में जैसा उत्साह मैंने देखा, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं विनम्रता के साथ कहता हूं कि यह अंशत: उस मान्यता के परिणामस्वरूप है जो हमें प्राप्त हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि हमें कल तक नाभिकीय विश्व में अछूत समझा जाता था, आज हमने नाभिकीय व्यवस्था में एक स्थान प्राप्त कर लिया है जो हमारे अनिवार्य हितों की रक्षा करता है। अतेव, हमें इन नाभिकीय समझौतों की प्रक्रिया में भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में आए परिवर्तन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

महोदय, जैसाकि मैं कह रहा था, हमने पहला महत्वपूर्ण चरण जो पार करना था वह आस्थगन था जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने अमरीकी राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास नाभिकीय हथियार कार्यक्रम है, अमरीका हमारी असैनिक नाभिकीय क्षमताओं का विकास करने में हमारा सहयोग करने हेतु इच्छुक है। मेरे विचार से, यह एक बड़ा लाभ है। हम एनपीटी में परिभाषित शर्तों के अनुसार नाभिकीय हथियार युक्त देश नहीं हो सकते। तथापि, सभी व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और ऐसी मान्यता हमें अमरीका से मिली है। रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देश इस वास्तविकता को मान्यता देने के इच्छुक हैं कि भारत एक नाभिकीय हथियार युक्त देश है। यह मेरी प्रतिबद्धता है जिसे मैं कई अवसरों पर कह चुका हूं कि यह नाभिकीय हथियार कार्यक्रम किसी बाहरी, हस्तक्षेपशील पर्यवेक्षण अथवा निगरानी के अधीन नहीं होगा और मैं इस आश्वासन को दुहराता हूं। अमरीकी कांग्रेस द्वारा व्यापक द्विदलीय समर्थन से कानून को पारित किये जाने से अमरीका के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। श्री आडवाणी जी ने द्विदलीय समर्थन का माखौल उड़ाया है। मैं इसके महत्व को कम नहीं करता।

श्री आडवाणी जी की सरकार कई महीनों तक श्री स्ट्रोब टालबोट के साथ गोपनीय तरीके से वार्ता करती रही। उन्हें संसद को यह बताने का कभी भी साहस नहीं हुआ कि वे क्या वार्त्ता कर रहे हैं। मैंने प्रत्येक चरण में संसद को विश्वास में लिया है। 18 जुलाई के पश्चात, 2 मार्च के पश्चात और प्रत्येक चरण में संसद को सामने रखा गया है। राजग सरकार के मामले में ऐसा नहीं था। हम आज तक यह नहीं जानते हैं कि श्री जसवंत सिंह जी ने स्ट्रोब टालबोट के साथ क्या चर्चा की। हमें स्ट्रोब टालबोट की पुस्तक से यह पता करना पड़ा था कि एक तिथि विशेष को सीटीबीटी पर भारत के हस्ताक्षर कराने का वायदा किया गया था। यदि राजग के मेरे मित्र श्री स्ट्रोब टालबोट के शब्दों को मुझसे ज्यादा समझते हैं जिसे कुछ दिन पहले एक चैनल पर यह कहते हुए दिखाया गया था कि वह भारत के साथ यह समझौता करने के विरोध में था क्योंकि इससे भारत को बहुत अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा है कि यदि अब भारत यह कहता कि हम इसे अस्वीकार करते हैं तो यह भारत में हित में नहीं होता। परन्तु भारत के हित में क्या है इसका निर्धारण करने वाले स्ट्रोब टालबोट कौन होते हैं। इसका निर्धारण इस संसद और इस सरकार द्वारा किया जाएगा और हम इस देश को बताए बिना कुछ नहीं करेंगे। हम इन सभी मामलों से देश को पूरी तरह अवगत रखेंगे।

जुलाई के संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राज्य अमरीका की घोषणा के अनुसरण में पारित समर्थकारी कानून यह है कि इसका उद्देश्य भारत के साथ पूर्णत: असैनिक नाभिकीय सहयोग प्राप्त करने हेतु अमरीकी कानूनों और नीतियों का समंजन करना है। भारत के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग को पुन: आरंभ करने हेतु यह अधिनियम अमरीका के लिए अनिवार्य है और यह भारत पर वर्तमान में लागू अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में उठाया गया एक कदम भी है।

मुझे यह कहना चाहिए कि हमें अमरीकी प्रशासन द्वारा किये प्रयासों और अमरीकी कांग्रेस के द्विदलीय समर्थन का प्रशंसा करनी चाहिए जिसकी वजह से यह कानून पारित हुआ। इस कानून की कई सकारात्मक विशेषताएं हैं जो हमारी चिंताओं पर विचार करता है। तथापि इससे इंकार करने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा कि ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी चिंता का कारण है और हमें द्विपक्षीय सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने से पहले अमरीकी प्रशासन के साथ इन पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी।

जो कुछ किया गया है वह अमरीकी प्रशासन को हमारे साथ वार्ता करने में समर्थ बनाती है। भारत के साथ अभी वार्ता होनी बाकी है और सभा में पूर्व के अवसरों पर मैंने जो वायदा एवं आश्वासन दिये हैं वही इन वार्त्ताओं में हमारे मार्गदर्शन का आधार होंगे।

महोदय, इस कानून के पारित होने से अमरीकी प्रशासन 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य में अमरीका द्वारा की गई प्रतिबद्धता नामत: भारत के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग की अनुमति देने हेतु प्रतिबंधों को हटाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय साझीदारों विशेषकर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से संपर्क करने में समर्थ हुआ है। हम यह सुनिश्चित करने की मांग करेंगे कि न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हमारे लिए स्वीकार्य शर्तों के अनुरूप पूर्ण असैनिक नाभिकीय सहयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु कार्रवाई करे।

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक,

[डा. मनमोहन सिंह]

स्थायी और दिशापरक सहयोग करने के प्रति इच्छुक है। अमरीका के साथ इस तरह की साझेदारी केवल तभी की जा सकती है जब कानून—इसका विस्तार क्षेत्र, विषयवस्तु एवं क्रियान्वयन 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य एवं 2 मार्च के सेपरेशन प्लान में अमरीका द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रशासन के हाथों को मजबूत करने के लिए हो। दूसरी ओर ये उद्देश्य बाहरी मुद्दों से बाधित हो सकते हैं जोकि 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य एवं 2 मार्च के सेपरेशन प्लान के समझौते का अंग नहीं थे। भारत के लिए यह कठिन होगा और वह अमरीका के साथ किये गये समझौतों के अलावा अन्य कोई शर्त स्वीकार नहीं पर सकता है। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है।

हमारा सामरिक कार्यक्रम उस चर्चा में शामिल नहीं था जिसका परिणाम 18 जुलाई का संयुक्त वक्तव्य था। हमारे सामरिक कार्यक्रमों पर 2 मार्च को हुए समझौतों संबंधी वार्त्ता में कोई चर्चा नहीं हुई थी। हमारे सामरिक कार्यक्रम की कोई बाह्य जांच या अन्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए, श्री आडवाणी को नाभिकीय कार्यक्रम के भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए।

सामरिक कार्यक्रम की स्वायत्तता का बचाव करना सरकार का परम कर्त्तव्य है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे इसकी सुरक्षा के प्रबंधन एवं राष्ट्रीय हितों पर भारत की पूर्ण स्वायत्तता से कोई समझौता अथवा इसमें कमी हो। मैं यह दोहराता हूं कि किसी अन्य देश का कोई कानून राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विदेशी संबंधों के संचालन के हमारे सम्प्रभु अधिकार को नहीं छीन सकता चाहे वह इरान के साथ संबंध हो अथवा किसी अन्य देश के साथ हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी ओर से यह आश्वस्त किया है कि कांग्रेस द्वारा यथापारित विधान इसे 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य तथा 2 मार्च की पृथक्करण योजना में की गई सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएगा। हम यह महसूस करते हैं कि स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक हैं, क्योंकि अधिनियम में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो चिन्ता के कारण हैं। अतः, स्पष्टीकरण आवश्यक हैं और संयुक्त राज्य अमरीका से इसकी मांग की जाएगी कि ऐसा किस प्रकार किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं एक जटिल प्रक्रिया है। हम यह मानते हैं कि परिणामों की पूर्णतया भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और न ही ये हमेशा नियंत्रण में होते हैं, लेकिन मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि समझौते, अगर कोई हों, बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है कि जोखिमों एवं अवसरों की गणना युक्तियुक्त तथा पारदर्शी तरीके से किये जाने की आवश्यकता होगी। लेकिन स्पष्टतया हम ऐसी किसी बात के लिए राजी नहीं हो सकते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के संगत नहीं हैं जिसमें हमारे रणनीतिक कार्यक्रम की स्वायत्तता, त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की सम्पूर्णता को बनाए रखना तथा फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम सहित घरेलू अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं। यह हमारा आधारभूत दृष्टिकोण होगा-और यहां मैं श्री रूपचंद पाल को उत्तर दे रहा हूं-जब हम द्विपक्षीय 123 समझौते पर वार्ता करेंगे, जो कि हमारे असैनिक परमाणु सहयोग का आधार होगा।

पीछे नजर डालने पर हम देखते हैं कि यद्यपि 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य तथा 2 मार्च की पृथक्करण योजना में जटिल मुद्दे शामिल हैं, तथापि हमें विश्वास है कि हम ऐसे परिणाम प्राप्त कर सके हैं जिससे भारत के हितों से किसी रूप में समझौता नहीं हुआ है। वास्तव में, जब मुद्दों को पूर्णतया स्पष्ट किया गया तो इसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। ऐसा इन जटिल मुद्दों के प्रति नए तथा रचनात्मक दृष्टिकोणों के उपयोग से संभव हो सका है। मैं मानता हूं कि हमारे अलगाव को दूर करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मुख्य धारा में इस तरीके से शामिल होने के लिए हमारे देश में इसके लिए व्यापक समर्थन विद्यमान है जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पूरा असैनिक परमाणु सहयोग प्राप्त हो सके और इसके साथ ही हमारा रणनीतिक कार्यक्रम सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे त्रिस्तरीय कार्यक्रम की सम्पूर्णता तथा घरेलू अनुसंधान एवं विकास जारी रखा जाना चाहिए। जहां तक द्विपक्षीय परमाणु समझौते का संबंध है, यही उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

संसद को यह मेरा पूर्ण आश्वासन है कि सरकार इसके लिए हर प्रयास करेगी जिससे जुलाई वक्तव्य का विजन वास्तविकता बन सके, यह उद्देश्य हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की लागत पर प्राप्त नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से, आगे कठिन वार्ताएं होंगी। इन वार्ताओं के प्रति हमारा व्यापक दृष्टिकोण तथा प्रत्याशाएं लोगों के रिकार्ड में हैं।

17 अगस्त 2006 के अपने बयान में मैंने सविस्तार यह बताया है कि भारत जुलाई वक्तव्य तथा मार्च पृथक्करण योजना के क्रियान्वयन को किस रूप में समझता है। मैं संसद को की गई प्रतिबद्धताओं पर अडिग हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इंडो-यू.एस. सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, भारत-अमरीका नागरिक नाभिकीय सहयोग पर सदन में चर्चा हो रही है। इसमें अभी माननीय प्रधानमंत्री जी